15/10/24

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी वकील उप० प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने हेतु प्रा० पत्र पेश किया गया कि मिस प्रार्थिनी का अप्रार्थीगण से आपस में राजीनामा हो गया है। जिस कारण प्रार्थिनी को अप्रार्थीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहिए। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली नोट प्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर
अलवर

मो० इजाजिखान